(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 836-पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 7-1-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 33/अपील/2011-12.

अब्दुल शकील आत्मज मो. युसुफ
निवासी ग्राम दमदम
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती हमीदा खातून पत्नी स्व. अब्दुल खलील
2. मो. आफताब आत्मतज स्व. अब्दुल खलील
3. मो. मेहताब आत्मतज स्व. अब्दुल खलील

निवासी होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री आर.पी. यादव, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 7-1-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम दमदम स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 220/1 रकबा 2.221 हेक्टेयर के संबंध में ग्राम पंचायत दमदम द्वारा किए गए संशोधन क्रमांक 35 आदेश दिनांक 23-5-2000 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 15-6-2010 को विलम्ब से अवधि विधान की धारा 5 सहित इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि अनावेदिका क्रमांक 1 का पति एवं अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 3 के पिता मोहम्मद अब्दुल खलील, आवेदक अब्दुल शकील एवं अब्दुल वकील आपस में भाई थे । मोहम्मद अब्दुल खलील फौत हो चुके हैं और उनकी मृत्यु के पूर्व ही पैतृक भूमि का बटवारा तीनों भाईयों के मध्य होकर अनावेदकगण के हिस्से में खसरा नम्बर 220/1 रकबा 2.221 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 316/1 रकबा 0.631 हेक्टेयर कुल रकबा 2.852 हेक्टेयर राजस्व अभिलखों में दर्ज है । आवेदक अब्दुल शकील, अनावेदिका क्रमांक 1 का देवर एवं अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 3 के चाचा है ।

आवेदक वर्ष 2000 में ग्राम सरपंच था, जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए उसके द्वारा अनावेदकगण को बिना सूचना दिये, बिना मुनादी कराये एवं बिना इस्तहार जारी कराये, गुपचुप एकपक्षीय रूप से खसरा नम्बर 220/1 रकबा 2.221 हेक्टेयर में से बतौर बटवारा 0.593 हेक्टेयर भूमि पर संशोधन क्रमांक 35 आदेश दिनांक 23-5-2000 के माध्यम से अपने नाम पर संशोधित करा ली गई है । अत: प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 220/1 रकबा 2.221 हेक्टेयर के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा किया गया संशोधन क्रमांक 35 आदेश दिनांक 23-5-2000 निरस्त किया किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/अ-6/2009-10 पंजीबद्ध कर दिनांक 7-3-2011 को आदेश पारित कर अपील समयावधि में मान्य कर, अपील स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा पारित संशोधन क्रमांक 35 आदेश दिनांक 23-5-2000 निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 2-6-2011 को विलम्ब से अवधि विधान की धारा 5 सहित प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा 7-1-2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं:-

1. प्रश्नाधीन संशोधन के अवलोकन से स्पष्ट है कि संशोधन प्रमाणित किए जाते समय अनावेदकगण उपस्थित थे और उनकी सहमति थी तथा उनकी उपस्थिति व सहमति पर ही उक्त प्रशनाधीन संशोधन प्रमाणित किया गया था । ऐसी स्थिति में उभय पक्ष की उपस्थिति व सहमति से प्रमाणित संशोधन के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती । चूंकि अनावेदकगण की जानकारी में संशोधन हुआ था, तब उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील निश्चित रूप से समयावधि से बाहर थी एवं किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं थी ।

2. अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को बगैर सूचना दिये एकपक्षीय कार्यवाही की गई है और जिस कथित सूचना पत्र के आधार पर आवेदक को एकपक्षीय किया गया था, उक्त नोटिस दिनांक 6-7-2010 को पेशी रीडर द्वारा बढ़ाई गई थी । ऐसी स्थिति में कोई पक्षकार अनुपस्थित रहता है, तब उसे बगैर सूचना दिए एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की जा सकती, तब दिनांक 6-7-2010 के उपरांत की पेशी दिनांक 20-7-2010 को आवेदक को एकपक्षीय करना पूर्णत: विधि विरूद्ध था । आवेदक को सुनवाई का अवसर

दिये बिना, जानबूझकर न्याय से वंचित किया गया, इन तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखी कर भूल की है । इस संबंध में अपीलार्थी ने यह प्रमाणित किया कि आवेदक को सूचना देने कभी भी कोई व्यक्ति नहीं आया । आवेदक द्वारा ग्राम कोटवार से चर्चा की तब उसके द्वारा आवेदक को सूचित किया गया था कि जिस सूचना पत्र के माध्यम से आवेदक को सूचना देना कहा जा रहा है तथा जिस पर ग्राम कोटवार के हस्ताक्षर होना दर्शाया जा रहा है, उक्त सूचना पत्र पर गवाह के रूप में ग्राम कोटवार के हस्ताक्षर नहीं हैं, किसी अन्य ने ग्राम कोटवार आदि के हस्ताक्षर फर्जी रूप से तैयार किए गए । इस संबंध में ग्राम कोटवार द्वारा एक शपथ पत्र इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसका अवलोकन एवं उस पर कोई निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालयों ने नहीं दिया । अतः ग्राम कोटवार चरनदास के शपथ पत्र पर ध्यान दिया जाये ।

3. अधीनस्थ न्यायालयों को यह देखना चाहिए था कि उक्त संशोधन की जानकारी अनावेदकगण को प्रारंभ से ही थी, तब जानकारी उपरांत भी अपील समयावधि में नहीं की गई थी और समय-सीमा के बिन्दु पर अनावेदकगण को कोई क्षमादान नहीं दिया जाना चाहिए था । अस्तु उक्त अपील को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक था, परन्तु ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि एवं प्रक्रिया की गंभीर भूल की है ।

4. अधीनस्थ न्यायालयों ने मनमाने निष्कर्ष दिये हैं, जो प्रकरण की परिस्थितियों से मेल नहीं खाते हैं और न ही अपील प्रकरण की परिस्थितियों पर लागू होते हैं । इन समस्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा कर गंभीर भूल की है ।

5. समस्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों एवं निर्धारित विधि के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार एवं अभिलेख का अवलोकन उपरांत निगरानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों की गैरकानूनी कार्यवाही निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत दमदम की संशोधन पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि संशोधन क्रमांक 35 आदेश दिनांक 23-5-2000 में काट-पीट की गई है । ग्राम पंचायत द्वारा उक्त संशोधन पंजी में नामांतरण एवं बटवारे की कार्यवाही एकसाथ की गई है, जो कि उचित कार्यवाही नहीं है । ग्राम

पंचायत द्वारा यह उल्लेख भी नहीं किया गया है कि किसको कितना रकबा प्राप्त हुआ । अत: ग्राम पंचायत द्वारा संशोधन पंजी में पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा विवेचना उपरांत विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष निकाले गए हैं, जिनमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से, उनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 7-1-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर